PAGE 1 OF 3	अभियोजन साक्षी संख्याः 04

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र परीक्षण संख्या- 546/2025		
राज्य	**बनाम**	रेखा आदि

नाम साक्षीः डा० विनोद कुमार पुत्र श्री हरिराम	अपराध संख्या-503/2024
उम्रः लगभग 52 वर्ष, पेशाः चिकित्सक	धारा- 103(1)/190, 191 (2), 115(2)/190, 352/190, 351(2)/190 B.N.S.
वर्तमान तैनाती पता साक्षीः सी०एच०सी० शिवराजपुर, कानपुर नगर	थाना-घाटमपुर, कानपुर नगर

दिनांकः-29.04.2026

मैं **साक्षीः डा० विनोद कुमार पुत्र श्री हरिराम, उम्रः लगभग 52 वर्ष, पेशाः चिकित्सक, वर्तमान तैनाती पता साक्षीः सी०एच०सी० शिवराजपुर, कानपुर नगर** शपथपूर्वक यह बयान करती हूँ कि.....

1. दिनांक 25.09.2024 को मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस कानपुर नगर में थी। उसी दिन राहुल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मूसपुर थाना घाटमपुर कानपुर नगर, उम्र करीब 20 वर्ष के शव को आरक्षी अशोक कुमार थाना घाटमपुर पोस्टमार्टम हेतु पोस्टमार्टम हाउस मेरे पास समय 12:40 PM पर लेकर आये थे। मृतक के शव की पोस्टमार्टम की कार्यवाही उसी दिन समय 12:45 PM पर शुरु की गयी थी। पुलिस प्रपत्र के अनुसार मृतक दिनांक 23.09.2024 को 12:21 PM पर एलएलआर अस्पताल में भर्ती रहा था और एलएलआर अस्पताल में ही दिनांक 24.09.2024 को समय 10:16 PM पर उसकी मृत्यु होना दर्शित है।

2. मृतक की लम्बाई 170 से०मी० थी। कद-काठी औसत था। मृतक के शरीर में अकड़न गर्दन से पास हो चुकी थी व शेष भाग में मौजूद थी। पी०एम० स्टेनिंग शरीर के पीछे नितंबों व जाँघों पर मौजूद थी। मृतक की दोनों आँखें बंद था। मुँह अधखुला था। मृतक की दोनों आँखों के चारों तरफ BLACKISH रंग के निशान मौजूद थे। सिर के चारों तरफ अस्पताली पट्टी बंधी हुई थी।

3. **मृत्यु पूर्व चोटेंः-**

---

(1) STITCHED WOUND- 7CM LONG & 9 STITCHES PRESENT ON RIGHT SIDE OF SKULL. 4 CM ABOVE RIGHT EAR . ON DISSECTION HEMATOMA PRESENT UNDER THE SKIN AND MUSCLES AND UNDERLYING BONE FRACTURE.

(2) ABRADED CONTUSION OF SIZE 1 X 1 CM PRESENT ON LEFT CHEEK.

(3) ABRADED CONTUSION OF SIZE 1 X 0.5 CM PRESENT ON DORSEM OF RIGHT HAND.

4. **आन्तरिक परीक्षणः-**

मस्तिष्क एवं मस्तिष्क की झिल्लियाँ लैसरेटेड व कंजेस्टेड थीं। मस्तिष्क का वजन 1210 ग्राम था जिसमें लगभग 180 एम०एल० ब्लड व रक्त का थक्का मौजूद था। दांत 14/14 मौजूद थे। दोनों फेफड़े कंजेस्टेड थे। ह्रदय का दायाँ चैम्बर भरा हुआ था व बायाँ खाली था। आमाशय का वजन 160 ग्राम था जिसमें तीस एम०एल० तरल पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत आंशिक गैस से भरी हुई थी। बड़ी आंत में मल व गैस मौजूद था। लीवर कंजेस्टेड था। पित्ताशय आधा भरा था। तिल्ली व दोनों किडनी कंजेस्टेड थीं।

5. **अभिमतः-**

मृतक की मृत्यु का कारण कोमा था जो कि मृत्यु-पूर्व आयीं एंटी मार्टेम हेड इंजरी के कारण था। सभी चोटें HARD & BLUNT OBJECTS से आना संभव हैं। मृतक को मृत्यु-पूर्व आईं चोटें मृत्यु के लिए पर्याप्त थीं।

6. मृतक के शव की पोस्टमार्टम की कार्यवाही उसी दिन 01:30 PM पर समाप्त की गयी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने स्वयं तैयार की थी। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श P-2** अंकित किया गया। पोस्टमार्टम की कार्यवाही के दौरान मृतक के शव के छायाचित्र भी लिए गए थे जोकि पत्रावली में संलग्न हैं। जिनकी मैं पुष्टि करता हूँ।

7. पोस्टमार्टम की कार्यवाही उपरांत मृतक राहुल के शव, इन्क्वेस्ट पेपर, छायाचित्र, मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आरक्षी अशोक कुमार को सुपुर्द कर मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर बनवाये थे।

8. उपरोक्त मुकदमें के विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

प्रतिपरीक्षा द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह (एड०) वास्ते अभियुक्त विपिन

9. मृतक के सिर पर लगी चोट गंभीर प्रकृति की थी। सिर की चोट के अलावा दो चोट और थीं। मृतक को चोट एक ही BLUNT OBJECT से आई है।

प्रतिपरीक्षा द्वारा श्री संजय शुक्ला (एड०) वास्ते अभियुक्त जागेन्द्र

10. यदि मृतक रोड़ पर गया हो तो लोडर के टक्कर मारने से दुर्घटनावश चोटें आ सकती हैं।

प्रतिपरीक्षा द्वारा श्री संदीप (एड०) वास्ते अभियुक्ता रेखा एवं अभियुक्त छोटे मुन्ना

11. मैं फाइल देखकर बता सकता हूँ कि मृतक राहुल को कौन लेकर आया था। मृतक के शरीर पर कुल तीन चोटें थीं। मृतक के एक चोट सिर पर थी जोकि RIGHT SIDE OF SKULL पर थी। दूसरी चोट बायें गाल पर व तीसरी चोट दायें हाथ पर थी। मृतक का पीएम मैंने अकेले ही किया था।

12. समय 01:30 पी०एम० पर मैंने पोस्टमार्टम की कार्यवाही समाप्त की थी। पोस्टमार्टम की शुरुआत 12:45 बजे सुबह की थी। तीनों चोटों में गंभीर चोट सिर की चोट थी। शेष दो चोटें सिंपल हैं। मृतक की मृत्यु एलएलआर अस्पताल में दिनांक 24.09.2024 को समय 10:16 PM पर होना पुलिस प्रपत्र में दर्शाया गया है। चोट संख्या 3 हार्ड एंड ब्लंट आब्जेक्ट से आईं थीं। चोट सं०-3 लोडर की टक्कर से लगना कम संभव है।

13. यह कहना गलत है कि मैंने वादी से गलत लाभ लेकर यह गलत रिपोर्ट तैयार की हो।

14. यह कहना गलत है कि मैं वादी मुकदमा के कहने पर आज झूठी गवाही देने आया हूँ।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा अंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS PRAKASH DIXIT